रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 30 अगस्त, 2004/8 भाद्रपद, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

हमीरपुर, 18 अगस्त, 2004

संख्या-एफ0 डी0 एस0-मूल्य सूचि/2000-6624-85.—इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ0 डी0 एस0-मूल्य सूचि/2000-4861-4920, दिनांक 1-7-2004 जो राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 16-7-2004 को प्रकाशित हो चुकी है कि निरन्तरता में तथा हिमाचल प्रदेश जमाखोरी मुनाफाखोरी निरोधक आदेश, 1977 की धारा 3(1) ई के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, देवेश कुमार (भा0 प्र0 से0), जिला दण्डाधिकारी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त अधिसूचना की अनुसूचि में दर्ज आवश्यक वस्तुओं के परचून भाव अगामी दो माह तक लागू रखने के सहर्ष आदेश देता हूं ।

हस्ताक्षरित/-
(देवेश कुमार),
जिला दण्डाधिकारी, हमीरपुर ।

1584-राजपत्र/2004-30-8-2004—1,415.

मूल्य : 1 रुपया ।

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला (हि0 प्र0)

कार्यालय आदेश

धर्मशाला, 20 अगस्त, 2004

संख्या पंच-के0 जी0 आर0 (निर्वाचन)-4271-82:—उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो कि अधोहस्ताक्षरी को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (4) के अधीन प्राप्त हुई है, मैं, श्री कान्त शाल्दी (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला (हि0 प्र0) निम्न सारणी अनुसार ग्राम पंचायत/पंचायत समिति के पदाधिकारियों के मृत्यु/त्याग-पत्र के कारण पदों को रिक्त घोषित करता हूं :—

क्रमांक	विकास खण्ड का नाम	नाम पंचायत	पदाधिकारी का नाम	पद व वार्ड	त्याग-पत्र/मृत्यु
1.	बैजनाथ	पपरोला	श्री अजय कुमार	उप-प्रधान	तीसरा बच्चा पैदा होने के कारण।
	—उक्त—	भदरैण	श्री पूर्ण चन्द	सदस्य-1	सरकारी नौकरी लगने के कारण।
	—उक्त—	मुल्थान	श्रीमती रेणु देवी	सदस्य	घरेलु परिस्थियों के कारण।
2.	कांगड़ा	कुल्थी	श्री बन्सी लाल	सदस्य-4	राजस्व विभाग में चौकीदार लगने के कारण।
	—उक्त—	मटौर	श्री चुनी लाल	उप-प्रधान	मृत्यु के कारण।

हस्ताक्षरित/-

उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला (हि0 प्र0)।

कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला (हि0 प्र0)

कार्यालय आदेश

धर्मशाला, 21 अगस्त, 2004

संख्या पंच-के0 जी0 आर0-ई0(9) 26/91-4288.—चूंकि श्री पवन कुमार, प्रधान, ग्राम पंचायत स्थाना, विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा के विरुद्ध विकास कार्यों को सन्तोषजनक रूप से न करवाने हेतु ग्रामवासियों ग्राम पंचायत स्थाना, विकास खण्ड फतेहपुर, ने खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुर को शिकायत पत्र भेजा था जिसकी जांच रिपोर्ट उनद्वारा अपने कार्यालय पत्र सं0 958, दिनांक 26-4-2004 के अन्तर्गत इस कार्यालय को प्रेषित की गई है जिसके अनुसार श्री पवन कुमार, प्रधान, ग्राम पंचायत स्थाना द्वारा करवाये गये विकास कार्यों का मूल्यांकन कम होने के कारण रु0 14310.00 पै0 का दुरुपयोग पाया गया है। इसके अन्तर्गत जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्माण दिवार मेनरोड से चूहड़ राम के घर तक अवैध रूप से निर्मित करवाई गई है। जिस पर रु0 5985.00 पै0 व्यय किया गया है जो कि अवैध पाया गया है इस प्रकार कुल 20295.00 पै0 का दुरुपयोग हुआ है।

और चूंकि इस कार्यालय के पत्र संख्या : पंच-के0 जी0 आर0-ई(9)26/91-2909, दिनांक 10-6-2004 के अन्तर्गत श्री पवन कुमार, प्रधान, ग्राम पंचायत स्थाना को अपनी स्थिति स्पष्ट करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसका उत्तर खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुर के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन करने पर यह असन्तोषजनक व आधारहीन पाया गया।

अतः मैं, हेम राज शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो मुझे हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (2) एवं हि0 प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 142 (1) (क) के अन्तर्गत श्री पवन कुमार, प्रधान, ग्राम पंचायत स्थाना, विकास खण्ड फतेहपुर, को तुरन्त प्रधान पद से निलम्बित करता हूं तथा यह आदेश देता हूं कि अगर उनके पास किसी भी प्रकार की (चल-अचल) पंचायत की सम्पत्ति हो तो उसे तुरन्त पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत स्थाना को सौंप दें।

हेम राज शर्मा,
जिला पंचायत अधिकारी,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

कारण बताओ नोटिस

कुल्लू, 13 अगस्त, 2004

संख्या पी0 सी0 एच0 (कु0) ग्रा0 प0 करंजा-1460-63.—ग्राम पंचायत करंजा, विकास खण्ड नगर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के अंकेक्षण अवधि 4/2003 से 3/2004 से सम्बन्धित अंकेक्षण पत्र में गम्भीर अनियमितताएं व राजकीय राशि के छलदरण के मामले उद्धत किए गए हैं। ग्राम पंचायत के अभिलेख पर आधारित अंकेक्षण-पत्र अनुसार श्री ईश्वर चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत करंजा, विकास खण्ड नगर, जिला कुल्लू की निम्न आरोपों में पूर्ण संलिप्तता की पुष्टि हुई है :—

1. यह कि निम्न विवरण अनुसार ग्राम पंचायत करंजा के साधारण खाता जे0 जी0 एस0 वाई0 व गांधी कुटीर/इंदिरा आवास योजना से सम्बन्धित बैंक खातों व डाकघर से निम्नलिखित राशियों की निकासी बिना पंचायत स्वीकृति/अनुमोदन लिए ग्राम पंचायत द्वारा संधारित रोकड़ में नहीं की गई है। बिना पंचायत स्वीकृति प्राप्त किए राशि की निकासी सभा निधि खाता बैंक से करके तथा निकासी की गई राशियों का इन्द्राज रोकड़ पर न करके सम्बन्धित प्रधान द्वारा न केवल अपने पद का गम्भीर दुरुपयोग किया गया है बल्कि हि0 प्र0 पं0 राज वित्त नियम, 2002 के नियम 10(i) की उल्लंघना की गई है और यह सरकारी धन के छलहरण का स्पष्ट मामला बनता है।

क्र0 सं0	नाम बचत खाता	बैंक जिसके नाम जारी किया गया	पास बुक अनुसार निकासी दिनांक	राशि
1	2	3	4	5
1.	कांगड़ा सहकारी बैंक खगनाल।	कोरा	12-11-2003	20500.00
2.	यथोपरि	श्री देव सरन उप-प्रधान	28-11-2003	6400.00
3.	यथोपरि	प्रधान श्री ईश्वर चन्द	7-9-2002	5000.00

1	2	3	4	5
4.	डाकघर हरिपुर	पूर्व प्रधान श्री धरवन लाल	1-10-2001	7217.00
5.	*यथोपरि*	प्रधान श्री ईश्वर चन्द	26-6-2003	10000.00
6.	ग्राम पंचायत जे0 जी0 एस0 वाई0 बैंक खाता हि0 ग्रामीण बैंक हरिपुर ।	पंच श्री जोग राज	11-4-2002	6370.00
7.	यथोपरि	पंच श्री हेम राज	23-4-2003	13000.00
8.	ग्राम पंचायत गांधी कुटीर हि0 ग्रामीण बैंक हरिपुर ।	श्री जीत राम पुत्र नाथू	13-11-2003	6800.00
9.	यथोपरि	श्री हंस राज	4-8-2003	5000.00
10.	यथोपरि	सचिव श्री शुकू राम	3-10-2003	10000.00
		योग ..		90287.00

उक्त छलहरण की गई राशि की वाणिज्य दर 12.5 प्रतिशत सहित उक्त प्रधान ग्राम पंचायत से वसूली योग्य है ।

2. यह कि प्रधान श्री ईश्वर चन्द द्वारा मु0 11600/- रुपये की निकासी कांगड़ा सहकारी बैंक खगनाल से दिनांक 3-2-2004 को इस आशय सहित की गई कि यह अनुदान राशि जे0 जी0 एस0 वाई0 खाते में जमा की जानी थी क्योंकि यह अनुदान गलती से सभानिधि खाते में जमा हुआ था। उक्त प्रधान द्वारा यह राशि 3-2-04 से 16-5-2004 दिनांक अंकेक्षण तक जमा न करके मु0 11600/- रुपये का छलहरण किया है जो उनसे 12.5 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली योग्य है।

3. यह कि प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा अनियमित रूप से निम्नलिखित अपूर्ण व असत्य मस्ट्रोलों/ वाउचरों का इन्द्राज रोकड़ बही पर करवाकर उनके इन्द्राजों का सत्यापन किया गया है । मु0 58061/- रुपये के मस्ट्रोल जिन पर तो राशि प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर हैं और न ही कार्य करने की अवधि आदि अंकित है, पूर्ण रूप से अनियमित अपूर्ण व असत्य है । अनियमित रूप से रोकड़ में निम्न व्यय रसीदों व मस्ट्रोल सम्बन्धी प्रत्येक प्रविष्टियों के समक्ष पुष्टि एवं सत्यापन सूचक प्रधान ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर हैं तथा मासांत उन्होंने अपने हस्ताक्षर कर मास के दौरान किए गए आय व्यय को सत्यापित किया है ।

72	30-6-2003	95	6916.00	निर्माण शमशान घाट सजला
72	30-6-2003	96	2210.00	मुरम्मत कुहल सजला
73	21-7-2003	97	4965.00	रास्ता सेरी नगर (11वां वित्त)
74	28-8-2003	105	11970.00	डंगा विष्णू मन्दिर सजला
76	15-9-2003	107	15000.00	डंगा खेल मैदान सजला
76	15-9-2003	108	12000.00	खेल मैदान करजां
77	11-11-2003	111	5000.00	रास्ता ट्रांसफार्मर से केहर चन्द के बगीचे तक ।
			58061.00	

इस प्रकार उक्त विवरण अनुसार मु0 58061/- रुपये की राशि के छलहरण के लिए प्रधान ग्राम पंचायत पूर्ण रूप से दोषी है उक्त राशि वाणिज्य दर से ब्याज सहित प्रधान ग्राम पंचायत से वसूली योग्य है ।

4. यह कि पंचायत द्वारा संधारित रोकड़ के पृ0 संख्या 73 दिनांक 21-7-2003 को वाउचर संख्या 98 द्वारा मु0 25000/- रुपये की अदायगी श्री जगदीश चन्द को पत्थरों की कीमत बावत निर्माण पौड़ियां सजला हेतु अदा किए दर्शाये गए हैं परन्तु रिकार्ड में न तो राशि प्राप्तकर्ता की पावती रसीद उपलब्ध है और न ही पत्थरों के बिल व कुटेशन आदि उपलब्ध हैं स्टाक रजिस्टर सामग्री में भी उक्त सामग्री की कोई प्रविष्टी नहीं है ।

इस प्रकार प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा मु0 25000/- रु0 पंचायत राशि का छलहरण किया है यह राशि प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा वाणिज्य दर से ब्याज सहित देय है ।

5. यह कि ग्राम पंचायत द्वारा संधारित रोकड़ के अनुसार निम्न विवरण अनुसार मु0 13041/- रु0 व्यय विभिन्न विकास योजनाओं/निर्माण कार्यों पर किया दर्शाया गया है ।

रोकड़ पृ0	दिनांक रोकड़ इन्द्राज	वाऊचर संख्या व दिनांक	राशि	सामान व कार्य का विवरण
70	5-4-2003	79-14-5-2003	883.00	46.5 कि0 ग्रा0 सरिया बावत खेल मैदान करंजा।
70	5-4-2003	79-10-4-2003	7180.00	354 कि0 ग्रा0 सरिया बावत श्मशान घाट सजला ।
72	30-6-2003	94-7-9-2003	2070.00	बजरी क्रय बावत श्मशान घाट सजला ।
70	5-4-2003	89-22-4-2003	2907.00	17 बैग सीमेंट बावत रास्ता शिवजी के घर से बीर सिंह के घर तक ।
		योग ..	13040.00	

जैसा कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व ही रोकड़ के व्यय पक्ष में उक्त व्यय सम्बन्धि प्रविष्टियां कर दी गई हैं अर्थात् उपरोक्त निर्माण सामग्री से सम्बन्धित व्यय रसीदों की तिथियां बाद में की है जबकि रोकड़ में उक्त व्यय सम्बन्धि प्रविष्टियां पूर्व तिथियों को की गई है इस प्रकार बिना निर्माण सामग्री क्रय किये निर्माण सामग्री के क्रय पर व्यय की अदायगी कर दी गई है उक्त समस्त व्यय सन्देह की परिधी में आता है तथा गम्भीर अनियमितता का मामला है । प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय रसीदों को सत्यापित किया गया है । इस प्रकार उक्त असत्य व्यय के अन्तर्गत अदा की गई सम्पूर्ण राशि मु0 13040/- रुपये की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा वाणिज्य दर से ब्याज सहित देय है ।

5. यह कि अवधि 4/2003 से 3/2004 तक प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत निधी से बिना बजट तैयार किए व बिना बजट पारित करवाये मु0 11276/- रुपये व्यय किए गए बिना बजट बनाये व पारित करवाये प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा निधि से व्यय करके न केवल अपने पद का दुरुपयोग किया गया है अपितु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 117(1) व वित्त नियम 2002 के नियम 37 की गम्भीर उल्लंघना की गई है। बिना बजट प्रावधान के निधि से प्रधान द्वारा व्यय करना गम्भीर अनियमितता का मामला बनता है।

पूर्व इसके कि उपरोक्तानुसार वर्णित आरोपों के दृष्टिगत प्रधान, ग्राम पंचायत, करंजा, विकास खण्ड नगर के विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 145 (2) के अन्तर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाये, मैं, आर0 डी0 नजीम, उपायुक्त जिला कुल्लू एतद्द्वारा प्रधान, ग्राम पंचायत करंजा को निर्देश देता हूं कि वह इस कारण बताओ नोटिस के जारी होने के 15 दिन के भीतर-भीतर आरोपों के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत करें। नियत अवधि में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि उन्हें ऊपर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसरण में नियमाधीन आगामी कार्रवाई आरम्भ कर दी जाएगी।

आर0 डी0 नजीम,
उपायुक्त,
कुल्लू जिला कुल्लू (हि प्र0)।

कार्यालय उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

नाहन-173 001, 17 अगस्त, 2004

संख्या पी0 सी0 एच0-एस0 एम0 आर0 (5) 50 (11)/96-4886-93.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पच्छाद, जिला सिरमौर द्वारा सूचित किया गया है कि श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री रामजी दास, जोकि ग्राम पंचायत सुरला जनोट के वार्ड नं0 3 की सदस्या थी, की मृत्यु दिनांक 8-7-2004 को हो चुकी है।

अत: मैं, एम0 एल0 शर्मा (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, जिला सिरमौर, नाहन, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (2) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सुरला जनोट विकास खण्ड पच्छाद के वार्ड नं0 3 के सदस्य पद को रिक्त घोषित करता हूं।

एम0 एल0 शर्मा,
उपायुक्त,
जिला सिरमौर, नाहन (हि0 प्र0)।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग सोलन, जिला सोलन

अधिसूचना

सोलन, 17 अगस्त, 2004

संख्या 3-87/82-सी0 एम0-II-3647-97.—इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना सं0 3-87/82-सी0 एम0-II-2526-2571 दिनांक 3-6-2004 की निरन्तरता में तथा हि0 प्र0 जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निरोधक

आदेश, 1977 की धारा 3(1) (ई) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राजेश कुमार (भारतीय प्रशासनिक सेवायें) जिला दण्डाधिकारी सोलन, जिला सोलन आदेश जारी करता हूं कि उपरोक्त अधिसूचना द्वारा निर्धारित आवश्यक वस्तुओं के मूल्य आगामी दो मास तक पूरे सोलन जिला में लागू रहेंगे ।

राजेश कुमार,
जिला दण्डाधिकारी,
सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ।

कार्यालय उपायुक्त, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

ऊना, 24 अगस्त, 2004

संख्या पंच-ऊना(निर्वाचन) 2004-1041-1045.—यह कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं के मास जून, 2001 में सम्पन्न हुए उप-निर्वाचन के अन्तर्गत श्रीमती ईशरी देवी, ग्राम पंचायत खानपुर, वार्ड नं0 4, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना से पंच निर्वाचित घोषित हुई थी ।

यह कि उपरोक्त श्रीमती ईशरी देवी, पंच, ग्राम पंचायत खानपुर, वार्ड नं0 4, विकास खण्ड ऊना का निधन दिनांक 3-6-2004 को हो जाने के कारण ग्राम पंचायत खानपुर के वार्ड नं0 4 का पद रिक्त हो गया है ।

अतः मैं, रजनीश (भा0प्र0से0), उपायुक्त, ऊना, जिला ऊना, हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(4) के अन्तर्गत श्रीमती ईशरी देवी, पंच, वार्ड नं0 4, ग्राम पंचायत खानपुर के पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

रजनीश,
उपायुक्त,
ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित